तार–जलनिगम

प प दूरभाष 2620172, 2620272
फैक्स 91 0522 2620173

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक: 36 / नियोजन / वित्तीय प्रबन्धन / 01   दिनांक 21 – 01 – 2020

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यरत फील्ड (कार्यप्रभारित संवर्ग) कर्मियो के वेतन आदि हेतु धनराशि नियमित अधिष्ठान हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के साथ ही अवमुक्त की जाती है। निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओ पर कार्यप्रभारित कार्मिको का उपयोग करते हुये कार्यो के निष्पादन में सहयोग लिये जाने तथा उनके द्वारा सम्पादित कार्यो के सापेक्ष परियोजना में उपलब्ध प्राविधान की सीमा तक व्यय भारित करते हुये सम्बन्धित धनराशि आय के रुप में मुख्यालय प्रेषित किये जाने के निर्देश आदेश संख्या 402 / पी–1 / राजस्व / 138 दिनॉक 20–08–2008 में दिये गये हैं। इस आदेश की प्रति संलग्न है।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्गत आदेश संख्या 232 / नियोजन / वित्तीय प्रबन्धन / 11 दिनॉक 16–08–2011 में विभिन्न परियोजनाओ को तैयार करते समय उपरोक्त सम्बन्ध में यथोचित प्राविधान किये जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत हैं। संज्ञान में आया है कि यद्यपि निर्माणाधीन कार्यो पर नियमित फील्ड कर्मियों का यथावश्यक सहयोग भी लिया जा रहा है, परन्तु क्षेत्र द्वारा उपरोक्तानुसार निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का प्रेषण मुख्यालय नहीं किया जा रहा हैं। यह स्थिति घोर आपत्तिजनक है।

पूर्व प्रसारित उपरोक्त आदेशों की प्रति पुनः संलग्न करते हुये निदेशित किया जाता है कि आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। निर्माणाधीन परियोजनाओ पर योजित कार्यप्रभारित कर्मियो द्वारा किये जा रहे कार्यो के सापेक्ष स्वीकृत आगणन में उपलब्ध प्राविधान की सीमा तक व्यय भारित कर धनराशि मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा गत वर्षो में सम्पादित ऐसे कार्यो के सापेक्ष इस मद में अप्रयुक्त अवशेष धनराशि एक पक्ष में मुख्यालय प्रेषित किया जाये।

(जी० पटनायक)
20.1.2020
अध्यक्ष

प्रतिलिपि संलग्नक सहित :

1. वित्त निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त निमित्त आवश्यक व्यवस्था लेखांकन प्रक्रिया में सुनिश्चित करते हुये अनुपालन की स्थिति के प्रभावी अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था स्थापित की जाये।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगमं।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / महाप्रबन्धक उत्तर प्रदेश जल निगम।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता / परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश जल निगम।
5. समस्त सम्बन्धित के उपयोगार्थ online Portal पर।

अध्यक्ष
20.1.2020

Scanned by CamScanner

तार–जलनिगम
E-mail : mdupjn@yahoo.co.in

दूरभाष : 2620172, 2620272
फैक्स : 91 0522 2620173

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक: 402/पी-1/राजस्व/138 दिनांक :20 अगस्त, 2008

कार्यालय ज्ञाप

वर्ष 2004–05 से उत्तर प्रदेश जल निगम में राजस्व सम्बन्धी समस्त व्ययों की पूर्ति, राजस्व मद में उपलब्ध धनराशि से ही, किये जाने के निर्देश है। क्षेत्रों को यह स्पष्ट निर्देश है कि विभिन्न कार्यो पर प्राप्त धनराशि में से राजस्व हेतु अनुमन्य समस्त धनराशि मुख्यालय को स्थानान्तरित की जाये तथा सीधे प्राप्त राजस्व को अपने स्तर से व्यय न किया जायें। पूर्व में सेन्टेज एवं केन्द्रीयकृत मद की धनराशि की एकमुश्त कटौती की जाती रही। वर्ष 2007–08 से कार्य की मूल लागत पर ही सेन्टेज (12.5%) की धनराशि मुख्यालय पर रोकी जा रही है। केन्द्रीयकृत मद में उपलब्ध समस्त धनराशि कार्य मद में ही अवमुक्त की जा रही है।

सेन्टेज के अतिरिक्त केन्द्रीयकृत मद में विभिन्न क्षेत्रों से यद्यपि वर्ष 2007–08 में लगभग रु० 37.68 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गई, परन्तु कई खण्डो से सम्पूर्ण धनराशि स्थान्नतरित नही की गई। इस सम्बन्ध में क्षेत्र के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया। बैठक में इस बात पर पूर्णतया सहमति रही कि विभिन्न खण्ड़ो में (सिविल/वि.यॉ) में कार्यरत कार्यप्रभारित/दैनिक वेतन भोगी कर्मियो का वेतन कार्य मद पर अवश्य ही भारित कर आहरित कर मुख्यालय स्थानान्तरित किया जाना अनिवार्य हो। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं–

1. विभागीय यंत्र/संयन्त्र के सबन्ध में Rental/ Depreciation एवं Logging Charge आदि के निमित्त परियोजना में उपलब्ध प्राविधान को सीधे मुख्यालय प्रेषित किया जाये। यंत्र/संयन्त्र के रखरखाव/मरम्मत आदि हेतु धनराशि मुख्य अभियन्ता (वि./यॉ.) की संस्तुति पर प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति से अलग से अवमुक्त की जायेगी।
2. विभागीय रुप से कार्य कराये जाने पर Contractor Profit (10%) के रुप में होने वाली बचत को कार्य पर भारित करते हुये समकक्ष धनराशि कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से आहरित कर प्रत्येक दशा में मुख्यालय Transfer किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. हैण्डपम्प/पाइप एवं अन्य निर्माण कार्य ठेकेदारी प्रथा से कराये जाने की स्थिति में भी सामान्यतः न्यूनतम एक कर्मी (नियमित/दैनिक वेतन भोगी) को अवर अभियन्ता की सहायतार्थ (सामग्री प्रबन्धन, अन्य कार्यो की देखरेख) योजित किया जाता है। अतः ऐसे कार्मिक का वेतन भी कार्य मद से आहरित कर मुख्यालय Transfer किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. जल निगम में उपलब्ध यंत्र/संयन्त्र एवं Manpower का उपयोग सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाये, एवं ठेकेदारी प्रथा से कार्य उन्ही परिस्थितियों में कराया जाये जबकि विभागीय यंत्र/संयन्त्र एवं Manpower कार्य हेतु उपलब्ध/रिक्त न हो। जल निगम के ज्ञाप संख्या 72/पी–1/वित्तीय प्रबन्धन/7/2006 दिनॉक 04–03–2006 (प्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या 1 से 3 के अनुरुप कार्य कराने की स्थिति में श्रमॉश के रुप में अनुमन्य धनराशि को कार्य पर भारित करते हुये समकक्ष धनराशि कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से आहरित कर मुख्यालय प्रेषित

Scanned by CamScanner

की जाये। सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीयकृत मद की धनराशि के आकलन निम्नानुसार किया जाना चाहिये–

Rs in Lakh

Sl	Description	Unit (Per)	Rental Charge	Logging	Water Testing	Labour component	
						Depart.	Contract
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tubewell - RC	No	0.15	0.12	0.012	0.200	0.080
	Tubewell - DC		0.30	0.12	0.012	0.400	0.120
2	Hand Pump (Rocky)	No	0.02	-	0.004	0.040	0.010
3	Hand Pump (Normal)	No	-	-	0.004	0.018	0.004
4	Other works	JE	-	-	-	Actual	0.075

क्रम 4 पर इंगित कार्यों पर बिन्दु 4 के अनुरुप प्रत्येक अवर अभियन्ता से सम्बद्ध एक कार्यप्रभारित कर्मी के वेतन आदि का आहरण प्रति माह कार्य से सुनिश्चित किया जायेगा। खण्ड स्तर पर Logging मद में रु० 6000.00 संचालन कार्य हेतु अवशेष रहेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का सिविल एवं वि०/यॉ० खण्डो द्वारा समान रुप से अनुपालन किया जायेगा। जल निगम में उपलब्ध यंत्र/संयन्त्र एवं कार्यप्रभारित संवर्ग में कार्यरत कर्मियों का उपयोग जल निगम हित में किया जाना अपरिहार्य है। उक्त दरें औसत के आधार पर इंगित की गई हैं तथा विशिष्ट परिस्थितियों में वास्तविकता एवं परियोजना विशेष में उपलब्ध प्राविधानों के अनुरुप दरें इससे इतर हो सकती हैं। चूँकि दरों हेतु एक सर्वमान्य नियम (Universal Formula) विकसित किया जाना दुरुह है अतः सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वविवेक से जल निगम हित में हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

(नकुल दुबे)
अध्यक्ष

पृ.सं. एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), उत्तर प्रदेश जल निगम।
3. निदेशक मानव संसाधन विकास, उ.प्र.जल निगम, लखनऊ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/प्रबंधक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम,।
6. गार्ड फाइल।

प्रबन्ध निदेशक

Scanned by CamScanner

तार–जलनिगम
E-mail mdupjn@yahoo.co.in
mdjnlu-up@nic.in

दूरभाष : 2620172, 2520272
फैक्स 91 0522 2620173

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक 232 / नियोजन / वित्तीय प्रबन्धन / 11 दिनांक : 16 अगस्त, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जल निगम के ज्ञाप संख्या 219/पी–1/वित्तीय प्रबन्धन /20 दिनॉक 18 अक्टूबर, 2005 तथा 62/नियोजन/वित्तीय प्रबन्धन/23 दिनॉक 31.12.09 द्वारा जल निगम में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं पर पर्यवेक्षण हेतु प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज) भारित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गई है। उक्त आदेशो में व्यवस्था शासन के आदेश संख्या ए–2–87/ दस–97 –17(4)75 दिनॉक 27.02.1997 के अनुसार है।

शासन के आदेश संख्या ए–2–23/दस–2011–17(4)/75 दिनॉक 25.01.2011 द्वारा उक्त आदेश दिनॉक 27.02.97 एवं सेन्टेज सम्बन्धी अन्य आदेशों को अवक्रमित करते हुए संशोधित व्यवस्था/निर्देश जारी किये गये है। वर्तमान में प्रमुख सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में गठित व्यय वित समिति द्वारा परियोजनओ को अनुमोदित करते समय शिड्यूल (Schedule) के अनुसार आकलित लागत को 5% कम कर 12.5 प्रतिशत सेन्टेज (अधिष्ठान की पूर्ति हेतु) अनुमन्य किया जा रहा है तथा शासन द्वारा तदनुसार आकलित लागत की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आकस्मिकतायें (Contingencies) मद में 2% का प्राविधान अनुमन्य किया जाता है एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राविधान (यथा कार्यप्रभारित, सर्वेक्षण/डिजाइन आदि) प्रतिशत प्रभार के रुप में अनुमन्य नही किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा योजना विशेष के दिशा निर्देश में उक्त मदो में कोई प्राविधान अनुमन्य भी हो तो उसे यथावत राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य नही किया जाता है एव अपेक्षा की जाती है कि केन्द्र पोषित योजना में उपलब्ध ऐसे किसी प्राविधान को 12.5 प्रतिशत सेन्टेज (अधिष्ठान की पूर्ति हेतु अनुमन्य) में समायोजित किया जाये। केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों में यह भी स्पष्ट है किसी भी मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग मात्र उसी मद में ही किया जा सकता है। अतः ऐसे किसी भी प्राविधान को अधिष्ठान पूर्ति हेतु अनुमन्य 12.5 प्रतिशत सेन्टेज में समायोजित किया जाना सम्भव नही है।

उक्त सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही समस्त परियोजनायें (केन्द्र पोषित सहित) राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुरुप ही तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया है; वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 25.01.11 के आलोक में जल निगम द्वारा पूर्व में जारी ज्ञाप संख्या 219/पी–1/वित्तीय प्रबन्धन/20 दिनांक 18.10.05 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

पर्यवेक्षणीय शुल्क (सेन्टेज)

1.0 निर्माण कार्य

1.1 उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सम्पादित किये जा रहे सभी कार्यो पर उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या ए–2–23/दस–2011–17(4)/75 दिनॉक 25.01.2011 द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार सेन्टेज कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत अनुमन्य होगा।

Scanned by CamScanner

1.2 स्पष्ट है कि परियोजना की लागत, कार्य की शिड्यूल के अनुसार प्राक्कलित लागत से 5 प्रतिशत कम हो जायेगी। प्रत्येक परियोजना में लागत सार (Abstract of Cost) में दो स्तम्भ रखे जाये जिनमें क्रमशः शिड्यूल के अनुसार प्राक्कलित लागत तथा 5 प्रतिशत कटौती के उपरान्त लागत अंकित की जाये।

1.3 सर्वेक्षण, डिजाइन आदि हेतु Abstract of Cost में एक अलग मद रखा जाये तथा उसमें अनुमानित आवयश्यक व्यय का Quantitative विवरण देते हुये आगणन संलग्न किया जाये।

1.4 निर्माण कार्यों पर योजित (deployed) कार्यप्रभारित कर्मचारियों हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवश्यक प्राविधान कार्य मद में ही सम्मिलित किया जाये।

2.0 संचालन एंव अनुरक्षण कार्य

2.1 संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों पर पर्यवेक्षणीय कार्यो हेतु सेन्टेज एक समान रुप से प्रतिशत में भारित नहीं किया जा सकता। अतः परियोजना विशेष पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अनुमन्य स्टाफ के वास्तविक वेतन/भत्ते तथा अन्य कार्यालय व्यय का समावेश परियोजना में किया जायेगा, एवं तदनुसार ही अधिष्ठान मद में व्यय भारित किया जायेगा।

2.2 इसी प्रकार परियोजना संचालन हेतु कार्यरत स्टाफ (कार्यप्रभारित संवर्ग) के सम्बन्ध में भी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अनुमन्य स्टाफ के वास्तविक वेतन/भत्ते तथा अन्य व्यय संचालन मद में सम्मिलित की जाये।

3 प्रत्येक परियोजना में बिन्दु 1.0 एवं 2.0 में दिये गये निर्देशानुसार शुल्क/अधिष्ठान व्यय का समावेश करते हुए प्राक्कलन विरचित कर उनका सक्षम स्तर/पोषक संस्था से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यों का सम्पादन किया जाये। किसी भी स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदन एवं धनराशि की प्राप्ति के बिना कार्य प्रारम्भ न किया जाये। स्वीकृत परियोजना के कार्यान्वयन के समय अनुमोदित लागत का विशेष ध्यान रखा जाये एवं स्वीकृत लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4 परियोजना की स्वीकृत लागत के अर्न्तगत कार्य पूर्ण न हो पाने की स्थिति में सम्बन्धित द्वारा समयान्तंगत पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाकर शासन/पोषक संस्था से अनुमोदन के पश्चात अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

(नवनीत सहगल)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित!

1 प्रमुख सचिव, वित्त/नगर विकास/ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. वित्त निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर 1/2),उत्तर प्रदेश जल निगम।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता एवं समकक्ष अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम।
7. मुख्य लेखाधिकारी/मुख्य आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम।
8. समस्त अधिकारी/ लेखाकार, वित्त एवं लेखा, उत्तर प्रदेश जल निगम।

अध्यक्ष
10/8/11

Scanned by CamScanner